भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 46

उत्तर देने की तारीख: 30.11. 2015

09 अग्रहायण, 1937 (शक)

स्कूलों में जंक फूड

46. श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के अधिकतर निजी विद्यालयों में जंक फूड मिलता है;

(ख) यदि हां, तो स्कूलों में जंक फूड की बिक्री रोकने के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई निदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) स्कूलों में जंक फूड की बिक्री रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): शिक्षा के संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के नाते अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इसलिए यह संबंधित राज्य/ संघ राज्क्ष क्षेत्र सरकारों का दायित्व है कि वे स्कूलों में जंक फूड की ब्रिकी पर रोक लगाएं। फिर भी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नवंबर, 2008 में अपने संबद्ध स्कूलों को निदेश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि जंक फूड, कार्बोनेटेड और एरिएटेड पेयों के स्थान पर स्वास्थ्यप्रद स्नैक्स, ज्यूस तथा दूध के उत्पाद दिए जाएं। स्कूलों को ये भी निदेश दिए गए थे कि वे मेन्यू के लिए रेसिपी तैयार करने और खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच के लिए डॉक्टरों ,पोषाहार विशेषज्ञों और आहार विशेषज्ञों को शामिल करें।

*****